

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राजस्थान)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल निम्बाहेडा)

धारा अर्न्तगत -136 तैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 061 / 2025 दायर दिनांक 9 / 10 / 2025

रिपोर्ट

निर्णय दिनांक 21/11/25

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन कलक्टर कपासन आदेश



क.स.	नाम	खाता नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन कलक्टर कपासन आदेश
1	इन्दरपुरा	18	महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बड़ौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	1. डालु पिता उदा भील सा. कचोलिया खालेदार साहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन	तहसीलदार कपासन की अनुरोध स्वीकार की जाकर राज.भू. सा. अधि.1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम इन्दरपुरा पटवार मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 18 में वर्तमान प्रविष्टि बड़ौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर मोहर	हस्ताक्षर तहसीलदार मय	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
	<p>पटवारी</p> <p>पटवारी इल्का</p> <p>तहसीलदार (मय)</p>	<p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>मय मोहर</p>	<p>हस्ताक्षर मोहर</p> <p>तहसीलदार मय</p>	<p>हस्ताक्षर तहसीलदार मय</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>	<p>सहायक कलक्टर</p> <p>(उपखण्ड अधिकारी)</p> <p>कपासन जिला-चितौड़गढ़</p>

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन